के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी
की जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व
प्रार्थी के पक्ष में विरुद्ध विपक्षीगण के इस
आशय की उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा
जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण
तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति
बनाई रखी जावे। पत्रावली कैलेण्डर शुमार
हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली मूल
वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ़
जिला-राजसमन्द